संख्या 5064/26-3-80-11(16)-80

प्रेषक,

जगदीश चन्द्र पंत,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/
समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक लखनऊ, 7 अक्तूबर, 1980

विषय--अनुसूचित जाति के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का कार्यान्वयन एवं उसकी प्रगति का अनुश्रवण तथा मासिक अर्द्धशासकीय पत्र का प्रेषण ।

महोदय,

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3

आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के महत्वपूर्ण पत्र संख्या 4488/छब्बीस-1-1980, दिनांक 11 सितम्बर, 1980 की ओर आकर्षित करते हुए मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि इस पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला प्लान इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी के द्वारा अनुसूचित जाति के लिये तैयार की गयी स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की समीक्षा प्रत्येक माह को जानी है । प्रत्येक माह में समस्त विकास विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग की स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि, भौतिक प्रगति तथा लाभान्वित अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या का ब्योरा अगले माह की 10 तारीख तक जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे । इसी प्रकार मण्डलीय स्तर पर डिवीजनल प्लानिंग कमेटी में मण्डलायुक्त इस स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन का अनुश्रवण तथा समीक्षा करेंगे ।

2--उपरोक्त समीक्षात्मक कार्यवाही जिला तथा मण्डलीय स्तरों पर समय से सुनिश्चित की जानी आवश्यक है । शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन की प्रगति का विवरण मासिक अर्द्ध शा0 पत्र द्वारा प्रत्येक मास में मण्डलायुक्त को भेजेंगे । सम्बन्धित मास का विवरण, अगले मास की 15 तारीख तक अवश्य भेज दिया जाय । जिला मजिस्ट्रेटों की सुविधा हेतु इस मासिक अर्द्धशासकीय पत्र तथा उसके संलग्नकों का प्रारूप सलग्न किया जा रहा है । इस मासिक अर्द्ध-शासकीय पत्र के आलेख को तैयार करने का दायित्व अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) पर होगा जो इसे जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशन पर ही तैयार करेंगे ।

3--जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मण्डलायुक्त को भेजे जाने वाले मासिक अर्द्धशासकीय पत्र के प्रथम प्रस्तर में विभिन्न विकास विभागों द्वारा अपने आयोजनागत परिव्यय में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की उपलब्धियां दिखायी जानी हैं। इसमें विशेषकर लाभान्वित अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या तथा जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा मासिक रिपोर्ट के प्रेषण की स्थिति दर्शायी जानी है । इससे सम्बन्धित संलग्नक एस0 सी0 पी0 प्रपत्र-1 है जिसमें जिले के सभी विकास विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मसिक रिपोर्ट अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजेंगे ।

4--प्रस्तर--2 में फूड फार वर्क कार्यक्रम के अन्तर्गत उन कार्यों का विवरण है जो हरिजन आबादियों को लाभान्वित करते हैं ।

5-प्रस्तर--3 के अन्तर्गत क्षेत्र विशेष की परिस्थिति के अनुसार हरिजन कल्याण के लिये सम्पन्न किये गये विकास कार्यों का संक्षप्ति विवरण दिया जाना है ।

6--प्रस्तर--4 में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुदान तथा मार्जिन मनी के वितरण की प्रगित दर्शायी जानी है । इस मद से सम्बन्धित संलग्नक प्रपत्र एस0 सी0 पी0 2, 3 तथा 4 है । इन प्रपत्रों में क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की रिपोर्ट अगले माह की 10 तारीख तक जिला प्रबन्धक को भेजी जायगी तथा जिला प्रबन्धक पूरे जिले की संकलित रिपोर्ट 15 तारीख तक भेजेंगे ।

7--प्रस्तर--5 में हरिजन कल्याण की विशेष समन्वित परियोजनाओं के विषय में समीक्षा दी जानी है । इसके अन्तर्गत परिवारों का सर्वेक्षण तथा आर्थिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति सूचित की जायगी तथा लाभान्वित परिवारों का विवरण दिया जाना आवश्यक है । यह रिपोर्ट सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अगले माह की दस तारीख तक अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) को भेजेंगे और वह 15 तारीख तक भेजेंगे ।

8--प्रस्तर--6 में हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण आवास की योजना की प्रगति दी जानी है । इससे सम्बन्धित संलग्नक एस0 सी0 पी0 प्रपत्र-5 है । इसमें ग्रामीण आवास की उस योजना की प्रगति दर्शायी जानी है जो हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही है । ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलायी

चलायी जा रही आवास योजना में हरिजनों के लिये आवासों की प्रगति एस0 सी0 पी0 प्रपत्र–1 में उस विभाग की स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की प्रगति के अन्तर्गत दिखायी जायगी। प्रपत्र–5 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विमुक्त जाति के आवास निर्माण की सूचना अलग-अलग जाति-वार दिखायी जायगी।

9––प्रस्तर–7 में हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण की रिपोर्ट दर्शायी जानी है। इससे सम्बन्धित संलग्नक प्रपत्र––6 है। यह रिपोर्ट जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को हर मास के लिये अगले माह की 10 तारीख तक भेजी जायगी ताकि मासिक अर्द्धशासकीय पत्र में सम्मिलित करके जिला मजिस्ट्रेट इसे मण्डलायुक्त को भेज सकें।

10––जिला मजिस्ट्रेट कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त मासिक अर्द्धशासकीय पत्र नियमित रूप से मण्डलायुक्त को प्रत्येक मास की 15 तारीख को अवश्य भेज दिया जाय। कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,
जगदीश चन्द्र पन्त,
सचिव।

पत्र संख्या 5064(1)/26–3–80––11(16)–80, तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित:––

(1) समस्त विकास विभाग के सचिव/विशेष सचिव को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह अपने विभाग से सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों को यह आदेश भेजने का कष्ट करें कि वह नियमित रूप से समय से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन की प्रगति अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) को भेजें, सुनिश्चित कर लें।

(2) समस्त विकास विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जगदीश चन्द्र पन्त,
सचिव।